

## नैनीताल की ज़ोनिंग हेतु NGT के नरिदेश

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

हाल ही में, [राष्ट्रीय हरति अधकिरण \(NGT\)](#) ने नैनीताल शहर को नषिदिध (Prohibited), वनियिमति (Regulated) और वकिसति (Development) ज़ोन में वर्गीकृत करने का नरिदेश दिया ।

- इस ज़ोनगि का उद्देश्य अनयित्तरति [शहरीकरण](#) के पर्यावरणीय प्रभाव को सीमति करना और वकिस संबंधी उत्तरदायतित्व को प्रबंधति करना है ।
- NGT ने "वहन कषमता" की अवधारणा पर ज़ोर दिया, जो क अधकितम जनसंख्या और वकिस के स्तर को संदरभति करता है जसि नैनीताल अपने पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बनिा प्रबंधति कर सकता है,
  - होटलों के पास पार्कगि नरिमाण के लयि **बाँज (Oak)** और **देवदार के पेड़ों** की कटाई से नैनीताल के जलग्रहण कषेत्र में बड़ी **पारसिथतिकि कषता हुई है, जसिसे नैनीताल झील** का पुनर्भरण प्रभावति हुआ है ।
- नैनीताल झील एक **चंद्राकार मीठे पानी की झील** है जो जसिका नरिमाण वविरतनकि गतविधियिों के फलस्वरूप हुआ था । यह उत्तराखंड के **कुमाऊँ कषेत्र** में स्थति है ।
- NGT एक **वैधानकि नकिय है जसिकी स्थापना राष्ट्रीय हरति अधकिरण अधनियिम, 2010** के तहत पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से संबंधति मामलों के प्रभावी और शीघ्र नपिटान हेतु की गई है ।

//



# राष्ट्रीय हरित अधिकरण

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन मामलों के त्वरित समाधान हेतु एक विशेष निकाय है।

## परिचय

- ④ **स्थापना:** राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत
- ④ **उद्देश्य:** पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन संबंधी मामलों का त्वरित समाधान
- ④ **मामले का समाधान:** 6 माह के अंदर
- ④ **मुख्यालय:** नई दिल्ली (मुख्यालय), भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई

## संरचना

- ④ **संरचना:** अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य
- ④ **कार्यकाल:** 5 वर्ष तक/65 वर्ष की आयु तक (पुनर्नियुक्ति नहीं)
- ④ **नियुक्तियाँ:** अध्यक्ष - केंद्र सरकार (भारतीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से)
  - 10-20 न्यायिक सदस्य और 10-20 विशेषज्ञ सदस्य - चयन समिति

भारत विश्व स्तर पर तीसरा देश है (ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद) साथ ही NGT जैसा विशेष पर्यावरण अधिकरण स्थापित करने वाला पहला विकासशील देश भी है।

## शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र

- ④ **अधिकार क्षेत्र:** पर्यावरण संबंधी मुद्दों और अधिकारों पर दीवानी मामले
- ④ **स्वप्रेरणा से अधिकार (Suo Motu Powers):** वर्ष 2021 से प्रदान किये गए
- ④ **भूमिका:** न्यायिक, निवारक और उपचारात्मक
- ④ **प्रक्रिया:** प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है
  - CPC, 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत बाध्य नहीं
- ④ **सिद्धांत:** सतत् विकास; निवारक (Precautionary); प्रदूषक भुगतान (Polluter Pays)
- ④ **आदेश:** सिविल कोर्ट के आदेशों के अनुसार निष्पादन योग्य; राहत और मुआवज़ा प्रदान करता है (**निर्णय बाध्यकारी हैं**)
- ④ **अपील:** अधिकरण अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है।
  - यदि निर्णय विफल हो जाता है - 90 दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जानी चाहिये

## NGT निम्नलिखित के तहत सिविल मामलों का समाधान करता है

- ④ जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- ④ जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977
- ④ वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
- ④ वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- ④ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- ④ सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991
- ④ जैव-विविधता अधिनियम, 2002



Drishti IAS

और पढ़ें... [राष्ट्रीय हरित अधिकरण \(NGT\)](#)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/ngt-s-directive-on-zoning-of-nainital>